प्रेषक,

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
देहरादून।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड पौड़ी।

पत्रांक 135 /स्था0/स्थानान्तरण/2025–26

दिनांक 23 अप्रैल, 2025

विषयः– वर्ष 2025–26 हेतु वार्षिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या–166861/2–2–स्था0/308/2022–23 दिनांक 19 अप्रैल, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड पात्रता सूची/रिक्तियों में कोई त्रुटि हो अथवा संशोधन आवश्यक हो तो तद्नुसार त्रुटि के सम्बन्ध में एवं आवश्यक संशोधन विषयक सूचना मय अभिलेखों सहित तथा वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की व्यवस्थानुसार स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के अधिकतम 10 इच्छित स्थानों हेतु विकल्प तथा वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17(2)(घ) से आच्छादित पदाधिकारियों के सम्बन्ध में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम में प्राविधानित व्यवस्थानुसार प्रमाणित साक्ष्य/अभिलेख उनके नाम व संगठन में धारित पदनाम सहित सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के कम में अवगत कराना है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड पात्रता सूची/रिक्तियों में कोई त्रुटि नही है, इस प्रकार जनपद देहरादून की सूचना शून्य है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ, देहरादून में कार्यरत श्री संजीव कुमार, सहायक संख्याधिकारी, द्वारा पूर्व में अपने विकल्प प्रारूप दिनांक 08.04.2025 द्वारा 03 इच्छित स्थानों के विकल्प उपलब्ध कराये गये थे,जिसकी छायाप्रति पूर्व में भी आपको प्रेषित की गई थी। पुनः उक्त विकल्प पत्र की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है एवं पूर्व में श्री संजीव कुमार, सहायक संख्याधिकारी, डी0आर0डी0ए0 इम्पलाईज यूनियन देहरादून में दिनांक 18.05.2022 से महामंत्री के पद पर कार्यरत थे, पुनः दिनांक 22.04.2025 को डी0आर0डी0ए0 इम्पलाईज यूनियन देहरादून का चुनाव किया गया, जिसमें श्री संजीव कुमार, सहायक संख्याधिकारी को जिला मंत्री के पद पर निर्वाचित किया गया। (छायाप्रति संलग्न)

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(विक्रम सिंह)
परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
देहरादून।

डी0आर0डी0ए0 इम्पलाईज यूनियन (उत्तराखंड)

(शासनादेश संख्या 508 / ग्रा0वि0आ0 / 53(9) दिनांक 8–8–2003 द्वारा मान्यता प्राप्त)

प्रधान कार्यालयः विकास भवन, सर्वे चौक, देहरादून ।

पत्रांक 05 / डी0आर0डी0ए0 / 2025–26 दिनांक : 22 अप्रैल, 2025

कार्यालय ज्ञाप

डी0आर0डी0ए0 इम्पलाईज यूनियन जनपद शाखा देहरादून का आज दिनांक 22.4.2025 को द्विवार्षिक चुनाव सम्पंन्न कराया गया जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गये :–

01–	जिला अध्यक्ष	श्री अमन गुप्ता
02–	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	श्री गौरव कुमार
03–	जिला मंत्री	श्री संजीव कुमार
04–	आडिटर	श्री वीरेन्द्र सिंह
05–	कोषाध्यक्ष	श्रीमती श्वेता नेगी
06–	संगठन मंत्री	श्री राहुल कुमार

उपरोक्त कार्यकारिणी का चुनाव श्रीमती सावित्री देवपा, चुनाव अधिकारी की देख रेख में सम्पंन्न कराया गया तत्पश्चात कार्यकारिणी को कर्मचारियों एंव संगठन के हित में कार्य करने के लिए शपथ दिलायी गई।

नव निर्वाचित कार्यकारिणी द्वारा सदन को भविष्य में कर्मचारियों की मांगों को अधिकारियों और शासन के सम्मुख प्रबल रूप से रखने का आश्वासन दिया गया।

कार्यकारिणी चुनाव में श्री अमन गुप्ता, श्री संजीव कुमार, श्रीमती स्वेता नेगी, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री राहुल कुमार, श्री गौरव कुमार व श्रीमती सावित्री देवपा आदि उपस्थित थे ।

Aman Gupta

(अमन गुप्ता),
जिला अध्यक्ष

(संजीव कुमार),
जिला मंत्री

प्रतिलिपिः– मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

2. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रान्तीय अध्यक्ष / मंत्री, डी.आर.डी.ए. इम्पलाईज यूनियन, उत्तराखण्ड।
4. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, विकास भवन देहरादून ।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास निदेशालय, पौडी।
6. समस्त जिला अध्यक्ष / मंत्री, डी0आर0डी0ए0 इम्पलाईज यूनियन, उत्तराखण्ड।

(संजीव कुमार),
जिला मंत्री

05
22-4-2025

डी0आर0डी0ए0 इम्पलाईज यूनियन (उत्तराखंड)

(शासनादेश संख्या 508 / ग्रा0वि0आ0 / 53(9) दिनांक 8–8–2003 द्वारा मान्यता प्राप्त)
प्रधान कार्यालयः विकास भवन, सर्वे चौक, देहरादून ।

पत्रांक 13 / डी0आर0डी0ए0 / 2022–23 दिनांक : 18 मई, 2022

कार्यालय ज्ञाप

डी0आर0डी0ए0 इम्पलाईज यूनियन जनपद शाखा देहरादून का आज दिनांक 18.5.2022 को द्विवार्षिक चुनाव सम्पंन्न कराया गया जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गये:—

01—	जिला अध्यक्ष	श्री अमन गुप्ता
02—	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	श्री राजीव शुक्ल
03—	जिला मंत्री	श्री संजीव कुमार
04—	आडिटर	श्री आर0एस0पंवार
05—	कोषाध्यक्ष	श्रीमती श्वेता नेगी
06—	संगठन मत्री	श्री विजय सिंह पटवाल
07—	प्रचार मंत्री	श्री कमन सिंह

उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यकारिणी मे सरंक्षक पद हेतु श्री नन्द किशोर त्रिपाठी को सदन द्वारा ध्वनि मत से अनुमोदित किया गया।

उपरोक्त कार्यकारिणी का चुनाव श्री आशुतोष अवस्थी, चुनाव अधिकारी की देख रेख में सम्पंन्न कराया गया तत्पश्चात कार्यकारिणी को कर्मचारियों एंव संगठन के हित में कार्य करने के लिए शपथ दिलायी गई।

नव निर्वाचित कार्यकारिणी द्वारा सदन को भविष्य में कर्मचारियों की मांगों को अधिकारियों और शासन के सम्मुख प्रबल रूप से रखने का आश्वासन दिया गया।

कार्यकारिणी चुनाव में श्री नन्द किशोर त्रिपाठी, श्री आर0पी0 सेमवाल, श्रीमती पूर्णिमा उनियाल, श्रीमती स्वेता नेगी, श्री राजीव शुक्ल, श्री आर0एस0 पंवार, श्री जगदीश कुमार गुसाई, श्री विजय सिंह पटवाल, श्री कमन सिंह, तथा श्री वीरेन्द्र सिंह, आदि उपस्थित थे ।

Aman Gupta
(अमन गुप्ता),
जिला अध्यक्ष

(संजीव कुमार),
जिला मंत्री

प्रतिलिपिः— मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रान्तीय अध्यक्ष / मंत्री, डी.आर.डी.ए. इम्पलाईज यूनियन, उत्तराखण्ड।
4. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, विकास भवन देहरादून ।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास निदेशालय, पौडी।
6. समस्त जिला अध्यक्ष / मंत्री, डी0आर0डी0ए0 इम्पलाईज यूनियन, उत्तराखण्ड।

(संजीव कुमार),
जिला मंत्री

रूपान्तरण की कार्यवाही समाप्त
छायाप्रति प्रमाणित

परियोजना निदेशक
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
देहरादून

विकल्प प्रारूप

क्र0सं0	नाम/पद नाम	नियुक्ति की तिथि	जन्मतिथि	वर्तमान जनपद में कब से कार्यरत हैं	इससे पूर्व किस जनपद में कार्यरत थे	स्थानान्तरण हेतु विकल्प स्वरूप दिये गये जनपद	अभ्युक्ति
1	श्री संजीव कुमार, सहायक संख्याधिकारी	16.01.2014	09.05.1977	16.01.2014	देहरादून	हरिद्वार, उत्तरकाशी, पौड़ी,	--

(संजीव कुमार)
सहायक संख्याधिकारी,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
देहरादून ।

03/
4 PO

प्रेषक,

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
पौड़ी गढ़वाल।

सेवामें,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांक 75 /1-स्था0/वार्षिक स्थानान्तरण/2025-26 दिनांक मई 01 ,2025

विषय— वर्ष 2025—26 हेतु वार्षिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या 166861/2—2—स्था0/308/2022-23 दिनांक 19 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में आयुक्तालय स्तर वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम—2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की गयी है, जिसका भली- भांति परीक्षण/अवलोकन इस स्तर कर लिया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है तथा इस स्तर से सूची में कोई संशोधन नहीं किया जाना है।

गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ, पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत स्थानान्तरण पात्रता सूची में श्री दीपक रावत, अर्थ एवं संख्याधिकारी पात्रता की श्रेणी में है। सम्बन्धित द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आपको सम्बोधित प्रत्यावेदन एवं स्थानान्तण हेतु विकल्प इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतः पात्र कार्मिक द्वारा प्रस्तुत किए गये विकल्प, निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर तथा सम्बन्धित का प्रत्यावेदन अग्रसारित करते हुए आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न— उक्तानुसार।

भवदीय,

(विवेक कुमार उपाध्याय)
परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
पौड़ी गढ़वाल।

अर्थ एवं संख्याधिकारी का दुर्गम से सुगम क्षेत्र/जनपद में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के विकल्प गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ, पौड़ी गढ़वाल वर्ष 2025-26

क0सं0	कार्मिक का नाम	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती का जनपद	जन्म तिथि	नियमित सेवा प्रारम्भ करने की तिथि	वर्तमान जनपद में कब से तैनात है	दुर्गम क्षेत्र में कुल तैनाती अवधि	पात्र कार्मिकों के विकल्प
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री दीपक रावत	पौड़ी	पौड़ी	15-06-1967	12-12-1988	09-11-2000	294 माह 20 दिन	1. पौड़ी 2. देहरादून

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण/
ग0उ0क्ष0वि0एवंरो0प्र0
पौड़ी गढ़वाल।

सेवामें,

आयुक्त
ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

द्वारा – उचित माध्यम।

विषयः– वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के आलोक में विकल्पों का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के कम में विनम्र अनुरोध करना है कि:–

1. शासनादेश संख्या– 1037/81/15/53(07)11 दिनांक 26 मई 2015 के द्वारा गरीबी उन्मूलन,क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ (डीआरडीए) के सृजित पद मृत संवर्गीय हैं। इस प्रकार इन पदों पर कार्यरत कार्मिकों के सेवा निवृत्त होने पर ये पद स्वतः समाप्त हो गये हैं।
2. मेरी धर्मपत्नी श्रीमती शोभा रावत, सहायक अध्यापिका, हिन्दी राजकीय इण्टर कालेज पौड़ी नगर में दिनांक 1 जुलाई 2023 से कार्यरत है, जो पूरी सेवा अवधि में पहली बार पौड़ी नगर क्षेत्र में स्थानान्तरण पर पदस्थापित हुई है। इसलिये स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 13(3) व अधिनियम की धारा 17 (ग)(दो) के अन्तर्गत दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत पति पत्नी को एक ही स्थान पौड़ी में बने रहने का विकल्प प्रस्तुत है। (संलग्न– स्थानान्तरण आदेश)
3. वर्तमान में मैं उत्तराखण्ड डीआरडीए इम्पलाईज यूनियन, मान्यताप्राप्त संगठन का जिलाध्यक्ष दिनांक 21 अप्रैल 2025 से निर्वाचित हूँ इसलिये अधिनियम की धारा 17(2)(घ) के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण से मुक्त रखने का अनुरोध कर रहा हूँ। (संलग्न- निर्वाचित होने का प्रमाण)
4. वर्तमान में मैं दुर्गम स्थान पौड़ी में वरिष्ठ कार्मिक के रूप में कार्यरत हूँ और इसी स्थान पर विद्यमान रहने का प्रथम विकल्प दे रहा हूँ।
5. जिस जनपद से प्रकोष्ठ में कार्यरत जो कार्मिक सेवानिवृत्त हुए हैं मृत काडर होने के कारण उनके पद भी स्वतः समाप्त हो गये हैं।
6. उपरोक्त अनुरोध में विद्यमान परिस्थिति के बावजूद भी यदि अनिवार्य स्थानान्तरण की बाध्यता अपरिहार्य हो तो मेरी 37 वर्ष की दुर्गम की सेवाओं के दृष्टिगत दुर्गम/ सुगम स्थान में स्थानान्तरण हेतु मैं अपने विकल्प निम्न प्रकार प्रेषित कर रहा हूँ।

क0	जनपद	विकल्प हेतु प्रस्तुत जनपद एवं प्रतिष्ठान का विवरण
1.	पौड़ी	गरीबी उन्मूलन ,क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ पौड़ी। (दुर्गम)
2.	देहरादून	गरीबी उन्मूलन,क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ देहरादून। (सुगम)

दिनांक 21 अप्रैल, 2025,

भवदीय,

(दीपक रावत)
अर्थ एवं सख्यांधिकारी
गरीबी उन्मूलन,क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ पौड़ी।

परियोजना निदेशक
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
पौड़ी गढ़वाल

।। कार्यालयः–मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।।

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 289 /3क(2)/वा.स्था./2023–24/दिनांक 26/06/2023

<u>स्थानान्तरण आदेश</u>

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–01, वर्ष 2018) की धारा–18(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–13 में निहित प्राविधानानुसार एवं सतर्कता अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 के अनुपालन में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित अध्यापिकाओं को अधिनियम की धारा 17(1)(ड)(चार) (उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी का अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण) के प्राविधानानुसार निम्नांकित तालिका के स्तम्भ–07 में अंकित विद्यालय में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में समान पद एवं वेतनक्रम में इस प्रतिबन्ध के साथ स्थानान्तरित किया जाता है कि ऐसी तैनाती के उपरान्त जब भी पति/पत्नी किसी कार्यस्थल पर 05/03 वर्ष अथवा सेवाकाल कुल 10 वर्ष के सेवाकाल सम्बन्धी मानक पूर्ण करेंगे, तब पति–पत्नी, यथा लागू, सामान्य स्थानान्तरण के पात्र हो जायेंगे।

शाखा–सामान्य							
क्र.सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुजान सिंह	अंग्रेजी	रा0उ0मा0वि0 मन्दिय	चकराता	देहरादून	रा0इ0का0 टैंठी अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	ओम प्रकाश रतनकोटी	अंग्रेजी	अ0सा0रा0इ0का0 गौण्डखाल	यमकेश्वर	पौड़ी	रा0उ0मा0वि0 राजीवग्राम, नरेन्द्रनगर, टिहरी	फलित रिक्ति के प्रति
3	किरण पाल सिंह	गणित	रा0इ0का0 धर्वाणी	चिन्यालीसौड़	उत्तरकाशी	रा0इ0का0 नगासूघार चम्बा टिहरी गढ़वाल	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	महेश दत्त चन्दोला	गणित	रा0इ0का0 थिरपाक	कर्णप्रयाग	चमोली	रा0उ0मा0वि0 अकबरपुर झोझा रुड़की हरिद्वार	फलित रिक्ति के प्रति
5	मंजु असवाल	सामाजिक विज्ञान	रा0उ0मा0वि0 पैनी	जोशीमठ	चमोली	रा0इ0का0 खण्डाह, खिर्सू पौड़ी	फलित रिक्ति के प्रति
6	कैलाश चन्द्र तिवाड़ी	सामाजिक विज्ञान	रा0उ0मा0वि0 स्यांलूगा	दुगड्डा	पौड़ी	रा0इ0का0 अण्वीचौड़, पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
7	दिनेश चन्द्र धीमान	कला	रा0इ0का0 दुआधार	नरेन्द्रनगर	टिहरी	रा.इ.का. खैरी मारखम ग्रान्ट डोईवाला देहरादून	फलित रिक्ति के प्रति
8	शशि थपलियाल	अंग्रेजी	रा0इ0का0 खन्दूखाल	पोखड़ा	पौड़ी	रा0उ0मा0वि0 बनियावाला सहसपुर देहरादून	फलित रिक्ति के प्रति

क्र.सं.	अध्यापक / अध्यापिका का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
22	शोभा रावत	हिन्दी	रा0उ0मा0वि0 बेमधार बाड़ा	पौड़ी	पौड़ी	रा0इ0का0 पौड़ी नगर, पौड़ी	फलित रिक्त पद के प्रति
23	दिनेश भण्डारी	अंग्रेजी	रा0उ0मा0वि0 पंजिया	कालसी	देहरादून	रा0उ0मा0वि0 डांडापुर, विकासनगर, देहरादून	फलित रिक्त पद के प्रति
24	गणेश प्रसाद रतूड़ी	गणित	रा0इ0का0 पिपलीधार डागर	कीर्तिनगर	टिहरी	रा0इ0का0 श्यामपुर, बहादराबाद, हरिद्वार	फलित रिक्त पद के प्रति
25	लक्ष्मी रौतेला	हिन्दी	रा0उ0मा0वि0 बलाण, देवाल	देवाल	चमोली	रा0उ0मा0वि0 रैणी जोशीमठ, चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
26	सुरेन्द्र लाल	अंग्रेजी	रा0इ0का0 रैंस चौण्डा	नारायणबगड़	चमोली	रा.इ.का.कोठगी, अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग,	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
27	अनूप सिंह	हिन्दी	रा0इ0का0 मवाधार	कल्जीखाल	पौड़ी	रा0उ0मा0वि0 राजघाट, द्वारीखाल, पौड़ी,	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
28	हिमांशु मोहन केष्टवाल	गणित	रा0उ0मा0वि0 गुण्डेली	रिखणीखाल	पौड़ी	रा0उ0मा0वि0 मरोड़ा बाडियू, कल्जीखाल, पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
29	कुलदीप पंवार	सामाजिक विज्ञान	रा0इ0का0 स्वीलीसेम	जखोली	रूद्रप्रयाग	रा0उ0मा0वि0 सटागाड़, जौनपुर, टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
30	विश्वजीत सिंह	अंग्रेजी	रा0उ0मा0वि0 खडुवा	कीर्तिनगर	टिहरी	रा0उ0मा0वि0 डाडा जलालपुर, भगवानपुर हरिद्वार	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
31	शान्ति घरिया	व्यायाम	रा0उ0मा0वि0 रैणी	जोशीमठ	चमोली	रा0इ0का0 जोशीमठ, जोशीमठ चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
32	दिनेश सिंह राणा	व्यायाम	रा0उ0मा0वि0 पलीगांव	नरेन्द्रनगर	टिहरी	रा0इ0का0 पश्चिमीवाला, विकासनगर, देहरादून	फलित रिक्त पद के प्रति
33	मालिनी नौटियाल	अंग्रेजी	रा0उ0मा0वि0 पिपाया	कालसी	देहरादून	रा0इ0का0 गुजराड़ा, रायपुर, देहरादून	फलित रिक्त पद के प्रति

डी0आर0डी0ए0 इम्पलाईज यूनियन, जनपद पौड़ी गढ़वाल

शासन से मान्यता प्राप्त

संख्या– 01 /पौड़ीशाखा/ 2024–25 दिनांक 21, अप्रैल 2025.

आज दिनांक 21 अप्रैल 2025 को डीआरडीए इम्पलाईज यूनियन/गरीबी उन्मूलन रोजगार एवं क्षमता विकास प्रकोष्ठ पौड़ी में कार्यरत सीधी भर्ती के कार्मिकों की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में विस्तार से चर्चा के बाद निम्न निर्णय लिये गये :–

विन्दु संख्या 1. बैठक में सभी सदस्यों के द्वारा विचार व्यक्त करते हुए सर्वप्रथम नई कार्यकारिणी के गठन का निर्णय लिया गया। सभी उपस्थित सदस्यों के विचार विमर्श के बाद सर्व सम्मति से जनपद की कार्यकारिणी का निम्नवत् गठन/चयन किया गया।

कमांक	पदाधिकारी का नाम	पदनाम
1	श्री दीपक रावत	अध्यक्ष
2	श्री मोहन सिंह नेगी	सचिव
3	श्रीमती मंजू	कोषाध्यक्ष

विन्दु संख्या 2.
चयनित कार्यकारिणी को पद की शपथ दिलाई गई । इस प्रकार नई कार्यकारिणी ने तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण किया गया।

विन्दु संख्या 3.
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अब जब भारत सरकार के द्वारा डीआरडीए को समाप्त कर दिया गया है तो प्रकोष्ठ का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसलिये अब तत्काल प्रभाव से प्रकोष्ठ में कार्यरत कार्मिकों को रेखीय विभाग में समायोजित किया जाए। इसके लिये कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष से वार्ता कर समयवद्ध रूप से शासन से कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

विन्दु संख्या 4.
बैठक में सभी सदस्यों को संगठन हित में पूरे तनमन से कार्य करने की प्रतिवद्धता की गई। और इस संकल्प के साथ बैठक सहर्ष समाप्त की गई।

(मोहन सिंह नेगी)
सचिव

(दीपक रावत)
जिलाध्यक्ष

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रान्तीय अध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
2. समस्त शाखा अध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, गढ़वाल।
5. आयुक्त ग्राम्य विकास निदेशालय पौड़ी।
6. सचिव, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड शासन।

(मोहन सिंह नेगी)
सचिव

(दीपक रावत)
जिलाध्यक्ष

ई–मेल / पंजीकृत / स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
ऊधमसिंह नगर।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड, पौड़ी ।

पत्र संख्या 48 / स्था0 / वार्षिक स्थाना0 / 2025–26, दिनांक 23 अप्रैल, 2025

विषय– वर्ष 2025–26 हेतु वार्षिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपदीय अधिष्ठानों में सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष / सचिव जिसमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष / सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण उनके हाल संगठन में पदधारित करने की तिथि से पद पर बने रहने अथवा 02 वर्ष की अवधि जो भी पहले हो की धारित व्यवस्थानुसार संगठन के उक्त पदधारियों के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

अतः उपरोक्त के क्रम में उक्त सूचना निर्धारित प्रारूप पर निम्नानुसार तैयार कर आपकी सेवा में प्रेषित है ।

प्रारूप

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	पदनाम	संगठन में धारित पद	पद धारित करने की तिथि अथवा 02 वर्ष की अवधि जो पहले हो का उल्लेख
1	2	3	4	5
1	श्री सुशील कुमार कोहली	कनिष्ठ अभियन्ता	जिलाध्यक्ष डी0आर0डी0ए0 इम्पलाईज यूनियन शाखा–ऊधमसिंहनगर	14.04.2025 (निर्वाचित पत्र की छायाप्रति संलग्न)
2	श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव	सहायक संख्याधिकारी	जिला मंत्री, डी0आर0डी0ए0 इम्पलाईज यूनियन शाखा–ऊधमसिंहनगर	14.04.2025 (निर्वाचित पत्र की छायाप्रति संलग्न)

संलग्न– यथोपरि

भवदीय,

24-4-2025

(सुशील मोहन डोभाल)
परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
ऊधमसिंह नगर।

डी0आर0डी0ए0 इम्पलाईज यूनियन (ऊधम सिंह नगर)

(शासनादेश संख्या 506/ग्रा0वि0अ0/53(9) दिनांक 8.8.2003 के द्वारा मान्यता प्राप्त)

कार्यालय – गरीबी उन्मूलन, क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ (जिला ग्राम्य विकास अभिकरण),
विकास भवन, रूद्रपुर, जनपद–ऊधमसिंह नगर।

बैठक का कार्यवृत्त

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज दिनांक 14.04.2025 को अध्यक्ष डी0आर0डी0ए0 इम्पलाईज यूनियन जनपद शाखा–ऊधमसिंह नगर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि पुरानी कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण नवीन कार्यकारिणी का गठन किया जाना है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि निकट भविष्य में सेवानिवृत्ति होने के कारण वह संगठन के कार्यों के क्रियान्वयन में सक्षम नहीं है। अतः नयी कार्यकारिणी का गठन किया जाना उचित होगा। जिस पर सदन द्वारा सर्वसम्मति से अध्यक्ष द्वारा लाये गये प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। अध्यक्ष द्वारा पुरानी कार्यकारिणी को भंग करते हुये नयी कार्यकारिणी का गठन किये जाने की स्वीकृती प्रदान की गयी।

उक्त के क्रम में सर्वसम्मति से नयी कार्यकारिणी का गठन किये जाने हेतु श्री भारत जोशी, अध्यक्ष, ग्राम्य विकास मिनिस्ट्रीयल एसोसिएसन जनपद ऊधमसिंह नगर को चुनाव अधिकारी नामित किया गया।

चुनाव अधिकारी के सम्मुख सर्वसम्मति से नयी कार्यकारिणी का गठन किया गया।

1. श्री सुशील कुमार कोहली — अध्यक्ष
2. श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव — महामंत्री

(सुशील कुमार कोहली)
अध्यक्ष
डी0आर0डी0ए0 इम्पलाईज यूनियन
शाखा–ऊधम सिंह नगर

पत्रांक 5/2025 /ऊ0सि0नगर/यूनियन/2025–26

दिनॉक 15 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रान्तीय अध्यक्ष एवं महामंत्री डी0आर0डी0ए0 इम्पलाईज यूनियन, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. समस्त जिला स्तरीय अध्यक्ष एवं महामंत्री डी0आर0डी0ए0 इम्पलाईज यूनियन, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधमसिंह नगर।
7. मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
8. परियोजना निदेशक, ऊधमसिंह नगर।
9. जिला विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।

(शैलेन्द्र श्रीवास्तव)
महामंत्री
डी0आर0डी0ए0 इम्पलाईज यूनियन
शाखा–ऊधम सिंह नगर

(सुशील कुमार कोहली)
अध्यक्ष
डी0आर0डी0ए0 इम्पलाईज यूनियन
शाखा–ऊधम सिंह नगर

मेल / पंजीकृत

ई–मेल

प्रेषक,

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
हरिद्वार।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड–पौड़ी।

पत्रांक 70 /स्था0–डीआरडीए0/2022–23 दिनांक 23-4-25

विषय– वार्षिक स्थानान्तरण वर्ष 2025–26 के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या 166661/2–2–स्था0/309/2022–23 दिनांक 19 अप्रैल 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें विभागीय पोर्टल पर अपलोड सूचियों में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों के अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प तथा वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा 17(2)(घ) से आच्छादित पदाधिकारियों के सम्बन्ध में अविधानित व्यवस्थानुसार साक्ष्य/अभिलेख उनके नाम व संगठन में धारित पदनाम सहित सूचना चाही गयी है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ, हरिद्वार में कार्यरत सहायक संख्याधिकारी श्री नवीन नौटियाल द्वारा अपना प्रत्यावेदन/विकल्प पत्र/अनुरोध पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जो संस्तुति सहित मय साक्ष्य/अभिलेख आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रेषित है:–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	अभ्युक्ति
1	श्री नवीन नौटियाल	सहायक संख्याधिकारी	1. डी0आर0डी0ए0 एम्पलाईज यूनियन की जनपद शाखा हरिद्वार में अध्यक्ष पद धारक (वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा 17(2)(घ) के अन्तर्गत छूट से सम्बन्धित निर्वाचन सम्बन्धी अभिलेख संलग्न है) 2. वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा–27 राज्य सरकार की दाम्पत्य नीति (पत्नी के स्थानान्तरण सम्बन्धी अभिलेख संलग्न है) के अन्तर्गत शिथिलता का अनुरोध किया गया है।

अतः विभागीय पोर्टल पर अपलोड सूचियों के सम्बन्ध में उपरोक्त साक्ष्य/अभिलेख पत्र के साथ संलग्न कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय

(के0एन0 तिवारी)
परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
हरिद्वार।

प्रतिलिपि:–उपायुक्त(प्रशासन) महोदय, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड पौड़ी की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
हरिद्वार।

सेवा में,

आयुक्त महोदय,
ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड–पौड़ी।

द्वारा– उचित माध्यम।

विषय:– वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2025–26 हेतु विकल्पों के प्रेषण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित विवरण के क्रम में विनम्र अनुरोध करना है कि :–

1. यह कि प्रार्थी वर्तमान में शासनादेश संख्या 508/ग्रा0वि0अनु0/59(9) दिनांक–08.08.2008के द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन डी0आर0डी0ए0 एमलाईज यूनियन की जनपद शाखा हरिद्वार में अध्यक्ष पद पर दिनांक– 20.01.2025 से धारक होने के कारण **वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा 17(2) घ में निहित प्राविधान –सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघो के जिला अध्यक्ष/सचिव** होने के कारण वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम में में प्राविधानित व्यवस्थानुसार छूट प्राप्त है। (अभिलेख संलग्न)
2. यह कि प्रार्थी की पत्नी श्रीमती नवीता जगूड़ी, प्राथमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत है, जिनका स्थानान्तरण उत्तराखण्ड शासन शिक्षा अनुभाग–01(बेसिक) के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 141/XXIV&A-1/2020-08/2019 T.C.I. दिनांक 22 जनवरी 2020 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए **वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा–27 के अधीन** मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिती की दिनांक 02.12.2019 को आहूत बैठक में प्राप्त संस्तुति विषयक शासनादेश संख्या–420/XXX(2)/19-30(11)/2018 दिनांक 20.12.2019 के क्रम में राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापकों को दाम्पत्य नीति के आधार पर अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के आदेश संख्या 30/61(1)/2020–21 दिनांक 29 मई 2020 के द्वारा जनपद बागेश्वर से जनपद हरिद्वार में हुआ था जिसके क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0), हरिद्वार के आदेश संख्या: 40 दिनांक 24.06.2020 के द्वारा जनपद–हरिद्वार में कार्यभार ग्रहण किया है। **राज्य सरकार की दाम्पत्य नीति के अनुसार मेरी पत्नी का जनपद स्तरीय कैडर होने के कारण मुझे जनपद हरिद्वार से अन्यत्र स्थानान्तरण की पात्रता मे शिथिलता/छूट** प्रदान करने की कृपा करें। (अभिलेख संलग्न)

संस्तुति सहित अग्रसारित

अतः अनुरोध है कि मेरे प्रत्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मुझे **वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा 17(2) घ में निहित प्राविधान** व **वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा–27 के अधीन** दाम्पत्य नीति के **अनुसार** के आधार पर वार्षिक अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय

(नवीन डिमरी) 21/4/25
सहायक संख्याधिकारी
गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ,
हरिद्वार।

(1)

कार्यालय : प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन मार्ग, देहरादून।
आदेश संख्या : प्रा0शि0से0–दो(5)/ 30 /01(1)/2020–21 दिनांक 29 मई, 2020

संवर्ग परिवर्तन/स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन शिक्षा अनुभाग–01 (बेसिक) के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 141/XXIV-A-1/2020-08/2019 T.C.I दिनांक 22 जनवरी, 2020 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा–27 के अधीन मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 02.12.2019 को आहूत बैठक में प्राप्त संस्तुति विषयक शासनादेश संख्या–420/XXX(2)/19–30(11)/2018, दिनांक 20.12.2019 के क्रम में राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापकों को दाम्पत्य नीति के आधार पर स्थानान्तरित किये जाने की सहमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है :–

(1) स्थानान्तरित सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापकों को संवर्ग परिवर्तन की यह सुविधा सम्पूर्ण सेवाकाल में मात्र एक बार प्रदान की जायेगी।

(2) स्थानान्तरित किये जा रहे सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापकों को कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

(3) सूची में उल्लिखित कार्मिकों के पति या पत्नी के वर्तमान में कार्यरत स्थल का अगस्त, 2019 के उपरान्त के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जायेंगे। उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में विपरीत तथ्य होने पर स्थानान्तरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(5) संवर्ग परिवर्तन होने पर वरिष्ठता के सम्बन्ध में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधान लागू रहेंगे।

(6) स्थानान्तरित किये जा रहे सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापकों के स्थानान्तरण आगामी शिक्षा सत्र अर्थात 01 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विवरण निम्नवत् है:–

सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक (प्राथमिक) पति–पत्नी के आधार पर स्थानान्तरण हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों का विवरण

क्र. सं.	शिक्षक का नाम/पदनाम / विद्यालय का नाम/ जनपद	स्थानान्तरण हेतु वांछित विद्यालय / वि0ख0 / जनपद का नाम	स्थानान्तरण चाहने का कारण	पति/ पत्नी का कार्यस्थल का नाम	प्रमाण पत्र (जिस स्तर का जारी किया गया हो)
1	श्री मनोज प्रताप सिंह, स0अ0 रा0प्रा0वि0 भेटा, बागेश्वर	हरिद्वार	दो कार्मिकों के मध्य विवाह	पत्नी श्रीमती शालनी चौहान, स0अ0, राष्ट्रीय इण्टर कालेज, बहादराबाद, हरिद्वार	प्रधानाचार्य, राष्ट्रीय इण्टर कालेज रोहालकी, बहादराबाद, हरिद्वार का प्रमाण–पत्र दिनांक 25.02.2020
2	श्रीमती छवी प्रेमी, स0अ0, रा.प्रा.वि. डड्वाड़, बागेश्वर	हरिद्वार	दो कार्मिकों के मध्य विवाह	पति श्री मनोज कुमार, प्रवक्ता कम्प्यूटर एप्लीकेशन, कार्यालय के0एल0 पॉलिटेक्निक, रुड़की	प्रधानाचार्य, के0एल0 पॉलिटेक्निक, रुड़की का प्रमाण–पत्र दिनांक 30.01.2020
3	श्री सुशील सिंह ,स0अ0, रा.प्रा.वि. पचकोटी, कपकोट, बागेश्वर	चमोली	दो कार्मिकों के मध्य विवाह	पत्नी श्रीमती प्रीति भण्डारी, स0अ0, रा0इ0का0 घाट, चमोली में कार्यरत	प्रधानाचार्य, रा0बा0इ0का0 घाट चमोली का प्रमाण–पत्र दिनांक 24.02.2020

(2)

श्रीमती [illegible], स0अ0, रा.प्रा.वि. [illegible] स्टेट, [illegible] बागेश्वर	हरिद्वार	[illegible] को [illegible] विवाह	पति श्री [illegible], सहायक शासकीय अधिवक्ता के पद पर जिला शासकीय अधिवक्ता कार्यालय हरिद्वार में कार्यरत	[illegible] परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण हरिद्वार का प्रमाण–पत्र दिनांक 24.02.2020

उक्त अध्यापक/अध्यापिकाओं के पति या पत्नी के वर्तमान कार्यस्थल का अगस्त, 2019 के उपरान्त निर्गत, उपलब्ध प्रमाण–पत्र के आधार पर अन्तर्संवर्गीय स्थानान्तरण की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को संवर्ग परिवर्तन की सुविधा सम्पूर्ण सेवाकाल में एक बार के लिए प्रदान की जायेगी। जिसकी अंकना सम्बन्धित की सेवा अभिलेखों में अनिवार्य रूप से अंकित की जाय। उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा–17 उपधारा–2 (ड.) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका सम्बन्धित जनपद के जनपदीय संवर्ग में पूर्व से कार्यरत शिक्षकों से कनिष्ठ हो जायेंगे। यदि उनके द्वारा स्थानान्तरण हेतु प्रस्तुत अभिलेखों में कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र असत्य पाया जाता है तो, सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरूद्ध प्रशासनिक/विधिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। स्थानान्तरित शिक्षकों को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(वी० एस० रावत)
अपर निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0/ प्रा0शि0से0–दो(5)/ 1237-43 /81(3)/2020–21 दिनांक उक्तवत्।

1 सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3 मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा0शि0) गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
4 वरिष्ठ कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
5 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) बागेश्वर, हरिद्वार, चमोली को इस आशय के साथ प्रेषित है कि वर्तमान में कोविड–19 वायरस के विश्वव्यापी संक्रमण फैलाव से बचाव के दृष्टिगत प्रभावी लॉकडॉउन के सम्बन्ध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की कार्यवाही की जाय।
6 सम्बन्धित शिक्षक।
7 गार्ड फाइल।

(वी० एस० रावत)
अपर निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

कार्यालय फोन नं0–01334–239482
फैक्स नं0–01334–239482

डी0आर0डी0ए0 इम्पलाईज यूनियन (उत्तराखण्ड)
जनपद शाखा–हरिद्वार।

(शासनादेश संख्या 508 / ग्रा0वि0अन0 / 53(9) दिनांक 8–8–03 द्वारा मान्यता प्राप्त)

नवीन नौटियाल
अध्यक्ष
(मो0–9411139332)

अनिल कुमार जैन
सचिव
(9412021736)

संस्तुति सहित अग्रसारित

टी.एस.पाल
वरिष्ठ उपाध्यक्ष 29-1-2025
(मो0–8979565908)

नितिन कुमार
कोषाध्यक्ष
(मो0–9719264710)

सेवा में,

प्रान्तीय अध्यक्ष,
डी.आर.डी.ए. इम्पलाईज यूनियन,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय– जनपद हरिद्वार में नवीन कार्यकारणी के गठन विषयक।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि आज दि0–28.01.2025 को जनपद यूनियन की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सर्वसम्मति से वर्तमान जनपदीय कार्यकारणी को भंग करते हुए नवीन कार्यकारिणी के चयन हेतु जनपद हरिद्वार के वरिष्ठतम सदस्य श्री सुशील शर्मा, को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। श्री शर्मा की अध्यक्षता में हुयी बैठक में नवीन कार्यकारिणी हेतु सर्वसम्मति से निम्न पदों पर निम्नानुसार चयन किया गया है:–

1. श्री नवीन नौटियाल –अध्यक्ष
2. श्री अनिल कुमार जैन – सचिव
3. श्री टी0एस0पाल – वरिष्ठ उपाध्यक्ष
4. श्री नितिन कुमार – कोषाध्यक्ष

उपरोक्त पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ श्री सुशील शर्मा द्वारा दिलायी गयी तथा नव नियुक्त पदाधिकारियों को बधाई एवं कर्तव्य पालन करने की शुभकामनोपरान्त यूनियन की बैठक का समापन किया गया।

सचिव
डी.आर.डी.ए. इम्पलाईज यूनियन,
हरिद्वार।

अध्यक्ष
डी.आर.डी.ए. इम्पलाईज यूनियन,
हरिद्वार।

पत्रांक: 01 /डीआरडीए–यूनियन / 2024–25 दिनांक: 28/01/25

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, हरिद्वार।
3. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, हरिद्वार।
4. जिला सूचना अधिकारी हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

सचिव
डी.आर.डी.ए. इम्पलाईज यूनियन,
हरिद्वार।

प्रेषक,

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
चमोली।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड पौड़ी।

पत्रांक 49 /डी0आर0डी0ए0–स्था0/2025–25 दिनांक 24 अप्रैल,2025

विषय– **वर्ष 2025–26 हेतु वार्षिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या 166861/2–2–स्था0/308/22–23 दिनांक 19 अप्रैल 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्राम्य विकास अभिकरण चमोली में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु चाही गयी सूचना प्रारूप पर तैयार कर संग्लन प्रेषित की जा रही है।

अतः प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्नः– यथोक्त।

भवदीय,

24/4/25

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
चमोली।

स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र का प्रारूप

1. कर्मचारी का नाम /पदनामः –
2. नियुक्ति / पदोन्नति की तिथि (जो लागू नहीं हो काट दें): –
3. वर्तमान तैनाती कार्यालय / जनपद का नामः– जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, चमोली / जनपद – चमोली ।
4. इससे पूर्व किस जनपद में कार्यरत थे तथा वहाँ से क्यों हटाये गये आधारः– —
   (आधार यदि स्थानान्तरण हो तो उसका प्रकार स्वेच्छा, जनहित, प्रशासनिक जो भी हो उल्लेख किया जाये)

कार्मिक का नाम / पदनाम	नियुक्ति की तिथि	जन्मतिथि	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती स्थान में कब से कार्यरत हैं, का दिनांक	इससे पूर्व किस जनपद / तैनाती स्थान में कार्यरत थे का पदवार अद्यावधिक विवरण (दिनांकित अवधि से क्रमित पूर्व तैनाती जनपद / क्षेत्र का नाम स्पष्ट रूप से दिया जाये		स्थानान्तरण हेतु वरियता क्रम में 3 जनपदों के नाम	अभ्युक्ति (आवश्यक विवरण यदि कोई हो)
					अवधि 1..... 2..... 3.....	पूर्व तैनाती जनपद / क्षेत्र / का नाम / पदनाम 1..... 2..... 3.....		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पृथ्वीसिंह रावत/ अनुसेवक(चमोली)	15.01.1990	30.06.1968	चमोली	Sept. 2011	8 वर्ष 10 माह 12 वर्ष 8 माह	1- पौड़ी 2- रुद्रप्रयाग	—	वर्तमान में स्थानान्तरण का इच्छुक नहीं हूँ इस जनपद में ही रहना चाहता हूँ

5. मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत नियुक्ति तो नहीं हैः – नहीं ।
6. वर्तमान समय में निलम्बित तो नहीं है अथवा विभागीय सतर्कता जाँच विचाराधीन या प्रस्तावित तो नहीं हैः– नहीं ।
7. स्थानान्तरण का कारण(स्थानान्तरण अधिनियम की धारा का उल्लेख कर संक्षिप्त विवरण) –
8. स्थानान्तरण हेतु पुष्ठ अभिलेख यदि कोई हो, की सत्यापित प्रति, क्रमित कर उपलब्ध करायी जायेः
9. अन्य विवरण यदि कोई होः–

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं वास्तविकता पर आधारित हैं, यदि इनमें से कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो मेरा प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जाये। इस हेतु मेरा विधिक दावा मान्य नहीं होगा।

दिनांकः 23.04.2025

हस्ताक्षर (आवेदक) / नाम / पदनाम सहित
पृथ्वीसिंह रावत
अनुसेवक डीआरडीए (चमोली)

(क)– निकटतम उच्च अधिकारी की संस्तुतिः

मेरे द्वारा उक्त सभी स्तम्भों की सूचना की पुष्टि इनके सेवा अभिलेखों से कर ली गयी है और प्रार्थना पत्र में दिया गया सभी विवरण सत्य है।

पदनाम की मोहर / हस्ताक्षर
PROJECT DIRECTOR
DRDA CHAMOLI

(ख)–जिला विकास अधिकारी, जिस जनपदीय अधिष्ठान में वर्तमान में कार्यरत हों, की संस्तुतिः

मेरे द्वारा उक्त सभी स्तम्भों की सूचना की पुष्टि इनके सेवा अभिलेखों से कर ली गयी है और प्रार्थना पत्र में दिया गये सभी विवरण सत्य हैं। संवर्ग में (पदनाम)................... (संख्या) पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष .... पद रिक्त हैं। श्री / श्रीमती .... के स्थानान्तरण हेतु अपनी संक्षिप्त संस्तुति दें।

पदनाम की मोहर / हस्ताक्षर

स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र का प्रारूप

1. कर्मचारी का नाम /पदनामः – मनोज कुमार डिमरी, सहायक संख्याधिकारी ।
2. नियुक्ति/पदोन्नति की तिथि (जो लागू नहीं हो काट दें): – 16.01.2014
3. वर्तमान तैनाती कार्यालय/जनपद का नाम:– जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, चमोली / जनपद – चमोली ।
4. इससे पूर्व किस जनपद में कार्यरत थे तथा वहाँ से क्यों हटाये गये आधार:– —
   (आधार यदि स्थानान्तरण हो तो उसका प्रकार स्वेच्छा, जनहित, प्रशासनिक जो भी हो उल्लेख किया जाये)

कार्मिक का नाम/पदनाम	नियुक्ति की तिथि	जन्मतिथि	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती स्थान में कब से कार्यरत हैं, का दिनांक	इससे पूर्व किस जनपद/तैनाती स्थान में कार्यरत थे का पदवार अध्यावधिक विवरण (दिनांकित अवधि से क्रमित पूर्व तैनाती जनपद/क्षेत्र का नाम स्पष्ट रूप से दिया जाये		स्थानान्तरण हेतु वरियता क्रम में 3 जनपदों के नाम	अभ्युक्ति (आवश्यक विवरण यदि कोई हो)
					अवधि 1..... 2..... 3.....	पूर्व तैनाती जनपद/ क्षेत्र/ का नाम/ पदनाम 1..... 2..... 3.....		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मनोज कुमार डिमरी, स.सं.अधि.	16.01.2014	30.06.1965	चमोली	नियुक्ति की तिथि से	–	–	–	माह जून, 2025 को सेवा निवृत्ति। स्थानान्तरण हेतु इच्छुक नहीं ।

5. मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत नियुक्ति तो नहीं है: – नहीं ।
6. वर्तमान समय में निलम्बित तो नहीं है अथवा विभागीय सतर्कता जॉच विचाराधीन या प्रस्तावित तो नहीं है:– नही ।
7. स्थानान्तरण का कारण(स्थानान्तरण अधिनियम की धारा का उल्लेख कर सक्षिप्त विवरण) –
8. स्थानान्तरण हेतु पुष्ट अभिलेख यदि कोई हो, की सत्यापित प्रति, क्रमित कर उपलब्ध करायी जाये:
9. अन्य विवरण यदि कोई हो:– **स्थानान्तरण हेतु इच्छुक नहीं हूँ** । मेरी पत्नी इस जनपद में राजकीय सेवा में कार्यरत हैं ।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं वास्तविकता पर आधारित हैं, यदि इनमें से कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो मेरा प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जाये। इस हेतु मेरा विधिक दावा मान्य नहीं होगा।

दिनांकः 23.04.2025

हस्ताक्षर (आवेदक)/नाम/पदनाम सहित
(मनोज कुमार डिमरी)
स. सं. अधि.

(क)– निकटतम उच्च अधिकारी की संस्तुतिः

मेरे द्वारा उक्त सभी सतम्भों की सूचना की पुष्टि इनके सेवा अभिलेखों से कर ली गयी है और प्रार्थना पत्र में दिया गया सभी विवरण सत्य है।

पदनाम की मोहर/हस्ताक्षर
PROJECT DIRECTOR
DRDA CHAMOLI

(ख)–जिला विकास अधिकारी, जिस जनपदीय अधिष्ठान में वर्तमान में कार्यरत हों, की संस्तुति:–

मेरे द्वारा उक्त सभी सतम्भों की सूचना की पुष्टि इनके सेवा अभिलेखों से कर ली गयी है और प्रार्थना पत्र में दिया गये सभी विवरण सत्य हैं। संवर्ग में (पदनाम)................... (संख्या) पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष .... पद रिक्त हैं। श्री/श्रीमती .... के स्थानान्तरण हेतु अपनी सक्षिप्त संस्तुति दें।

अति आवश्यक / ई0मेल

प्रेषक,

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
पिथौरागढ़।

सेवा में,

आयुक्त
ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांक 95 /6–स्था / 2025–26 दिनांक 01 मई, 2025

विषय– वर्ष 2025–26 हेतु वार्षिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या 166861 / 2 2 स्था / 303 / 2022–23 दिनांक 19 अप्रैल, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025–26 के द्वारा वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम ,2017 के द्वारा राज्याधीन कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रत्येक सामान्य स्थानान्तर किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः विभागीय वेबसाट पर अपलोड की गयी पात्र कार्मिकों की पात्रता सूची का भली –भांति परीक्षण कर लिया गया है।

उपरोक्त क्रम में गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ पिथौरागढ़ में कार्यरत कार्मिकों की सूचना निम्न प्रारूप में तैयार कर प्रेषित की जा रही है।

प्रारूप

पद का नाम– सहायक संख्याधिकारी

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती का गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ / जनपद	गृह जनपद,गृह तहसील विकास खण्ड	जन्मतिथि	दुर्गम क्षेत्रों में कुल तैनाती की अवधि माह में	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री रमेश सिंह बोरा	पिथौरागढ़	ताकुला / अल्मोड़ा	16.01.1981	136 माह 15 दिन	श्री रमेश सिंह बोरा सहायक संख्याधिकारी पति एवं पत्नी दोनों सरकारी सेवा में जिला पिथौरागढ़ में कार्यरत होने के फलस्वरूप श्री रमेश सिंह बोरा पिथौरागढ़ जिले में ही सरकारी सेवा में कार्यरत रहना चाहते हैं। व स्थानान्तरण नहीं चाहते हैं।

सादर सूचना प्रेषित।

भवदीय,

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि–1. मुख्य विकास अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
पिथौरागढ़।